रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1992/ज्येष्ठ 4, 1914
No. 309] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1992/JYAISTHA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

का. आ. 365(अ) :— जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की **धारा** 63 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड-3 उपखंड (ii) में प्रकाशित पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण वन और वन्यजीव विभाग) द्वारा जारी दिनांक 1 जनवरी 1990 की अधिसूचना सं. का. आ. 1 (ई) को तत्काल से **निरस्त** करती है।

[फाइल सं. क्यू 14018/2/88-सी पी **वन्य्**]

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 1992

S.O. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (6 of 1974 the Central Government hereby rescinds the notification issued by the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S. O. 1(E), dated the Ist January, 1990, published in the Extraordinary Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) with immediate effect.

[F. No. Q. 15018|2|88-CPW]

MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992